मंईयां योजना के लिये झारखंड में कम आयु सीमा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (MMSY) के लिये आयु सीमा में कमी को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (MMSY) के लिये न्यूनतम आयु सीमा **21 वर्ष से** घटाकर **18 वर्ष** कर दी गई है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त 800,000 महिलाओं को लाभ पहुँचाना है।
- **MMSY:** यह योजना **3 अगस्त, 2024** को शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए दिये जाएंगे।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के माध्यम से हर वर्ष सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 12,000 रुपए भेजे जाएंगे।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

- **उद्देश्य:** इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में **धोखाधड़ी को कम** करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** इसे भारत सरकार द्वारा **1 जनवरी, 2013** को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  - महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पुराने संस्करण यानी '**सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (CPSMS)**' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

- यह योजना राज्य में बालिका शिक्षा, बाल विवाह को समाप्त करने और महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिये कुल **40,000 रुपए** की सहायता दे रही है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-lowers-age-limit-for-maiyan-yojana